समाहरणालय, अररिया
महिला एवं बाल विकास निगम,अररिया
मोबाईल नं0 : 9431005047
E-mail : dpo.araria@icdsbih.gov.in

बिहार सरकार

पत्रांक 2153..../जि0प्रो0,

प्रेषक,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
अररिया।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,
अररिया

अररिया दिनांक 27..../07..../2026

विषय : मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनान्तर्गत पुलिस लाइन अररिया स्थित पालनाघर के कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनान्तर्गत पुलिस लाइन अररिया स्थित पालनाघर के रिक्त क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर के पद पर कर्मियों के नियोजन हेतु जिला पदाधिकारी,अररिया के ज्ञापांक–**2149**/जि0प्रो0, अररिया दिनांक–**27.07.2026**, विज्ञापन संख्या–**02/2026** द्वारा **दिनांक–30.07.2026 से दिनांक–27.08.2026** तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन जिला के अधिकारिक बेबसाईड (NIC) पर किया जाना है। आवेदक विस्तृत जानकारी विज्ञापन अथवा जिला प्रोग्राम कार्यालय आई०सी०डी०एस० अररिया से प्राप्त कर सकते है।

अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न विज्ञापन को जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने कि कृपा कि जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्ववासभाजन,

27/7/26

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
अररिया।

127

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत पुलिस लाइन अररिया में स्थित पालनाघर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप:-

ज्ञापांक 2149 /जि0 प्रो0, अररिया, दिनांक 27/07/2026

समाहरणालय, अररिया

(महिला एवं बाल विकास निगम अररिया)

विज्ञापन संख्या - (02/2026)

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक:- WCDC/1882/23 दिनांक:- 09/08/2023 के आलोक में पुलिस लाइन अररिया में पालनाघर के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है:-

क्र० सं०	पद का नाम	पद की संख्या	आयु	योग्यता/अहर्ता	मानदेय
1	क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	अधिकतम 40 वर्ष	**शैक्षणिक योग्यता:** स्नातक उत्तीर्ण । **अनुभव:** बच्चों के साथ किसी भी संस्थान/स्कूल /आंगनबाड़ी /प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य का 3 साल का अनुभव अनिर्वाय है ।	14,730/-
2	सहायक क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	अधिकतम 40 वर्ष	**शैक्षणिक योग्यता:** बारहवीं पास अथवा इंटरमीडिएट। **अनुभव:** बच्चों की देख-रेख से संबंधित कार्यनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी ।	11,640/-

1. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
2. नियोजन के समय उपलब्ध कराई सूचनाओं के गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।
3. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए, सदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
4. मार्गदर्शिका के विहित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर 01 वर्ष के लिए किया जाएगा तथा 01 वर्ष की अवधि में प्रथम तीन माह परीक्ष्यमान अवधि होगी । इस अवधि में किए गए कार्य मूल्यांकन की समीक्षा संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसके आधार पर संविदा अवधि के विस्तार के संबंध में आवश्यक निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जाएगा।
5. कर्मियों के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक हीं उन्हें देय होगा, इसके अतिरिक्त कर्मी अन्य किसी भी प्रकार के लाभ एवं सुविधा के हकदार नहीं होंगे।
6. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नही होगा।इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएगे ना ही सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत पुलिस लाइन अररिया में संचालित पालनाघर के अधीन होगा।
7. सभी कार्य दिवस एवं अवकाश की तिथि को कार्यालय खुलने की स्थिति में पालनाघर की सेवाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कर्मियों की संयुक्त रूप से होगी।
8. सरकारी अवकाश में पालनाघर बंद होने के अतिरिक्त कर्मियों को अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं होगा।
9. चयन हेतु मेधा सूची का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा:-

पद का नाम	प्रासांगिक शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	साक्षात्कार
क्रेच वर्कर	प्राप्तांक का 60 प्रतिशत	मार्गदर्शिका में उल्लेखित अनिवार्य अनुभव के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक देय होगा जो अधिकतम 15 अंक होगा।	अधिकतम 25 अंक देय होगा।
सहायक क्रेच वर्कर		अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी, अनुभव हेतु अलग से कोई भी अंक देय नहीं होगा।	

10. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
11. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
12. सरकारी/ अर्ध-सरकारी अथवा गैर - सरकारी विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
13. चयन प्रक्रिया - निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना सम्बंधित अभ्यर्थी को उनके आवदेन में उल्लेखित **Email ID** एवं जिला के वेबसाइट (https://araria.nic.in) पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
14. मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हक़दार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मियों द्वारा सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
15. विज्ञापन एवं सेवा शर्तो से सम्बंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, अररिया के अधीन है। जिला पदाधिकारी, अररिया विज्ञापन को संशोधित/ रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।
16. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए दिनांक 30/7/26 से दिनांक 27/8/26 अपराह्न 05:00 बजे तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्र / अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए अपराह्न 05:00 बजे तक समाहरणालय परिसर स्थित "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) -सह- नोडल पदाधिकारी मिशन शक्ति समाहरणालय परिसर अररिया" पिन-854311 के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से अपना आवेदन समर्पित करेंगे। **प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्ट्या निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
17. एक से अधिक पदों के लिए अलग- अलग आवेदन मान्य होंगे।
18. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
19. अभ्यर्थी, विज्ञापन से सम्बंधित अपडेट अन्य घोषणाओ हेतु जिला के वेबसाइट https://araria.nic.in/ का अवलोकन करते रहेंगे।

जिला पदाधिकारी
अररिया

184

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत पुलिस लाइन में स्थित पालनाघर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूपः–

समाहरणालय, अररिया

(महिला एवं बाल विकास निगम अररिया)

विज्ञापन संख्या – 02/2026

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक:- WCDC/1882/23 दिनांक:– 09/08/2023 के आलोक में पुलिस लाइन अररिया में पालनाघर के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

क्र. स.	पद का नाम	पदों की संख्या	आयु	योग्यता/अहर्ता	मानदेय
1	क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	अधिकतम 40 वर्ष	**शैक्षणिक योग्यता:**स्नातक उत्तीर्ण **अनुभव** :बच्चों के साथ किसी भी संस्थान /स्कूल /आंगनबाड़ी /प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य का 3 साल का अनुभव।	14,730/-
2	सहायक क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	अधिकतम 40 वर्ष	**शैक्षणिक योग्यता:** बारहवीं पास अथवा इंटरमीडिएट। **अनुभव:** बच्चों की देख–रेख से संबंधित कार्यनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी ।	11,640/-

नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप जिला वेबसाइट https://araria.nic.in/ एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय (ICDS) अररिया के सूचनापट से प्राप्त किया जा सकता है। रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन दिनांक 30/7/26 से 27/8/26 अपराह्ण 5:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा।

24/7/26

जिला पदाधिकारी

अररिया ।

123

आवेदन- प्रपत्र

विज्ञापन संख्या- 02/2026

स्व-अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईजफोटो

1. आवेदित पद का नाम: ....
2. अभ्यर्थी का नाम: ....
3. जन्म तिथि : ....
4. माता का नाम: ....
5. पिता/ पति का नाम ....
6. आधार कार्ड नंबर ....
7. स्थायी आवास का पूरा पता (जिला के नाम के साथ):..

....

8. पत्राचार का पता: ....

....

9. श्रेणी: सामान्य ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ पिछड़ा वर्ग ☐

अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य ☐

10. मोबाइल नंबर: ....
11. ई- मेल आईडी: ....
12. शैक्षणिक विवरणी: -

क्र० स०	शिक्षा	विषय	उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
1	मैट्रिक					
2	इंटर					
3	स्नातक (प्रतिष्ठा का विषय)					
4	स्नातकोत्तर					
6	कंप्यूटर योग्यता					
8	अन्य					

13. कार्य अनुभव :-

क्र०स०	संस्थान का नाम	पदनाम	कार्य अवधि वर्ष / माह / दिन	कार्य विवरणी

14. संलग्न किये गये कागजातों की सूची:-

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	

घोषणा:- उपरोक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य है। यदि भविष्य में कभी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वंय जिम्मेवार रहूँगी एवं मेरे विरुद्ध नियमानुकूल कारवाई की जा सकती है ।

दिनांक

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर